न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री महावीर प्रसाद नायक आर.ए.एस.

प्रकरण नं0 –
70/2013(192/2008) राजस्व वाद

तारीख दायर
14.06.2013 (06.05.2008)

तारीख फैसला
07.10.2019

उनवान

1. मु0 नानी बेटी पुत्री छोगालाल ब्राह्मण निवासी ईटमारिया तह0 शाहपुरा

बनाम – वादी

1. कुन्दनमल पिता कल्याण ब्राह्मण निवासी ईटमारिया तह0 शाहपुरा
2. गीता बेवा छोटू लाल ब्राह्मण निवासी ईटमारिया तह0 शाहपुरा
3. राजू पुत्र छोटू लाल ब्राह्मण निवासी ईटमारिया तह0 शाहपुरा
4. मुकेश पुत्र छोटू लाल ब्राह्मण निवासी ईटमारिया तह0 शाहपुरा
5. सुनिल पुत्र छोटू लाल ब्राह्मण निवासी ईटमारिया तह0 शाहपुरा
6. मोती लाल पुत्र कल्याणमल ब्राह्मण निवासी ईटमारिया तह0 शाहपुरा
7. मु0 प्यारी बेवा कल्याणमल ब्राह्मण निवासी ईटमारिया तह0 शाहपुरा
8. मु0 लाली पुत्री कल्याणमल ब्राह्मण निवासी ईटमारिया तह0 शाहपुरा
9. मु0 निमला पुत्री कल्याणमल ब्राह्मण निवासी ईटमारिया तह0 शाहपुरा
10. तहसीलदार शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् घोषित किये जाने खातेदार काश्तकार इन्द्राज दुरस्ती, कब्जेयाबी व बटवाड़ा आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– वादी अभिभाषक – श्री प्यारेलाल कोल
प्रतिवादी 1 की तरफ से अभिभाषक :– श्री त्रिलोक चन्द नौलखा
प्रतिवादी नं. 2 लगायत 4 की ओर से अभिभाषक :– श्री दुर्गा लाल राजोरा
प्रतिवादी 5 लगायत 9 की तरफ से – एकपक्षीय
प्रतिवादी नं. 10 की तरफ से – स्वयं उपस्थित

–:: निर्णय ::–

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :– वादिया की ओर से एक वादपत्र प्रतिवादीगणों के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि ग्राम ईटमारिया पटवार हल्का ईटमारिया तहसील शाहपुरा में स्थित भू–प्रबन्ध से पूर्व के आराजी नम्बर 9, 368, 673, 715, 847, 1027, 1084/1, 1084/2, 1085, 1086 कुल किता 10 कुल रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा जिसके भू– प्रबन्ध के पश्चात् जो नम्बर बने है वो निम्न है :– 250, 869, 878, 1250, 1420, 1647, 1649, 1650, 1651, 1652, 1658 कुल किता 11 रकबा 4.33 हैक्टेयर स्थित है। इसी प्रकार ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का ढिकोला तहसील शाहपुरा में भू– प्रबन्ध से पूर्व आरी नम्बर 313, 317/2, 317/3, 318, 320 कुल किता 5 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा जिसके भू–प्रबन्ध के पश्चात् के निम्न आराजी नम्बर 2560, 2566, 2567, 2571 कुल किता 4 रकबा 1.26 हैक्टेयर स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त कृषि आराजी में वादिया ने वाद पत्र में छोगालाल की पुत्री होना बताते हुए छोगालाल के फौत होने के पश्चात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बिलानत व छोगालाल के पुत्र कल्याण के साथ छोगालाल की पुत्री होने के नाते 1/2 हिस्सा मैहित होने से इसी अनुसार उपरोक्त कृषि आराजियात में वादिया को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करा राजस्व दस्तावेजों में इस आशय की इन्द्राज दुरुस्ती की सिद्धि चाही है। साथ ही बटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा की सिद्धि भी चाही है।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण प्रतिवादीगणों द्वारा, वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों को इन्कार करते हुए यह भी जवाब दिया कि छोगालाल की मृत्यु विगत 60 वर्ष पूर्व हो गई थी तथा उसके फौत होने के पश्चात बिलानत से कल्याणमल के नाम खातेदारी दर्ज की गई। नानी का कोई हक व अधिकार नहीं होने से उसका नाम दर्ज नही किया। प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व प्रतिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के अनुसार तनकियात विरचित की गई। जो निम्नानुसार है –

तनकी संख्या 1– आया वाद पत्र के पेरा नम्बर 2 में वर्णित ग्राम ईटनास्थिया में स्थित कृषि आराजियात कुल किता 11 रकबा 4.33 हैक्टेयर व वाद पत्र के पेरा संख्या 3 में वर्णित ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का ढिकोला में स्थित कृषि आराजियात किता 4 कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर में वादिया प्रतिवादीगणों के साथ संयुक्तरूप से 1/2 हिस्से की खातेदार – काश्तकार घोषित करा मीटस एण्ड बौण्ड्स के आधार पर बटवारा करा 1/2 हिस्से का कब्जा प्रतिवादीगणों से प्राप्त करने की अधिकारी है – जिम्मे वादिया

तनकी संख्या 2– आया वादिया प्रतिवादीगणों के विरुद्ध वादग्रस्त आराजीयात बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है – जिम्मे वादिया

तनकी संख्या 3– आया वादिया की उसका हिस्सा पूर्व में ही दिया जा चुका है। अब वादिया के मन में बेईमानी आ जाने से जमीन हड़पने की नियत से यह गलत वाद पेश किया जा खारीज होने योग्य है – जिम्मे प्रतिवादी नम्बर 1

तनकी संख्या 4– दादरसी

तनकी विरचित किये जाने के पश्चात् वादिया की ओर से साक्ष्य में वादिया पीडब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षित हुई। पीडब्ल्यू 2 कैलाश चन्द्र उपाध्याय, पीडब्ल्यू 3 जमनालाल रेगर, पीडब्ल्यू महेश चन्द्र जोशी परीक्षित हुये। वादिया की ओर से जो दस्तावेज पेश किये जो प्रदर्श 1 लगायत 14 है। प्रतिवादीगणों की ओर से डीडब्ल्यू 1 कुन्दनमल, डीडब्ल्यू 2 कन्हैयालाल, डीडब्ल्यू 3 सुखा गाडरी, डीडब्ल्यू 4 जमाल मन्सूरी परीक्षित हुए।

बहस सुनी गई। वादिया ने अपने वादपत्र में वर्णित समस्त तथ्यों को दोहराते हुए अपने आप को छोगा की पुत्री बताते हुए पैतृक सम्पति में अपने हिस्से अनुसार वादपत्र में वर्णित आराजीयात में अपना हिस्सा बहैसियत खातेदार के रूप में दर्ज कराने हेतु निवेदन किया। साथ ही अपनी ओर से प्रस्तुत दस्तावेज और गवाहों को विस्तृत रूप से विवेचित किया तथा साथ ही यह भी निवेदन किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पिता की सम्पति में पुत्रों के साथ – साथ पुत्री का भी बराबर हक व अधिकार है। इसके विरुद्ध विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगणों ने बहस के दौरान वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को विधिसम्मत नहीं बताते हुये यह निवेदन किया कि सजरा अधूरा होकर छोटू की पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रतिवादी ने अपने जवाब में छोगालाल की मृत्यु वर्ष 1951 में अर्थात जवाब प्रस्तुत करने के 60 वर्ष पूर्व होने का तथ्य बताया तथा साथ यह भी कहा कि उक्त तथ्य कि छोगा की मृत्यु 60 वर्ष पूर्व होने के तथ्य का कोई जवाबुलजवाब प्रस्तुत नहीं किया गया व न ही इसके विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत किये। इसीलिए छोगा की मृत्यु वर्ष 1951 में होने का तथ्य स्वीकृत तथ्य है। इसीलिए वादपत्र खारीज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से उनके अधिवक्ता दुर्गालाल राजोरा ने दौराने बहस निवेदन किया कि उनकी

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
[illegible] (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

तरफ से कोई जवाब दावा पेश नहीं किया गया। प्रतिवादीगणों की ओर से [illegible] से जवाब पेश किया गया है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज किया जावे।

तनकी संख्या 1. – आया वाद पत्र के पेरा नम्बर 2 में वर्णित ग्राम [illegible] में स्थित कृषि आराजियात कुल किता 11 रकबा 4.33 हैक्टेयर व वाद पत्र के पेरा संख्या 3 में वर्णित ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का ढिकोला में स्थित कृषि आराजियात किता 4 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर में वादिया प्रतिवादीगणों के साथ संयुक्तरूप से 1/2 हिस्से की खातेदार – काश्तकार घोषित करा मीट्स एण्ड बौण्डस के आधार पर बंटवारा करा 1/2 हिस्से का कब्जा प्रतिवादीगणों से प्राप्त करने की अधिकारी है – को साबित करने का भार वादिया पर था। वादिया ने अपनी ओर से उक्त तनकी को प्रमाणित करने हेतु अपनी ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के साथ साथ मौखिक साक्ष्य के रूप में पीडब्ल्यू 1 लगायत 4 को परीक्षित कराया। दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादिया इस तथ्य को प्रमाणित करने में असफल नही है कि छोगा की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के पश्चात् हुई जबकि प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में छोगा की मृत्यु 60 वर्ष पूर्व होना दर्शाया है जबकि प्रतिवादी ने अपना जवाब दावा दिनांक 13.05.2011 को प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार वर्ष 2011 से 60 वर्ष पूर्व अर्थात् छोगा की मृत्यु वर्ष 1951 में होना दस्तावेजी व मौक्षिक साक्ष्य से प्रमाणित आया है। किसी भी गवाह ने जो प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये है उन्होनें छोगा की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के पश्चात् होने का तथ्य नहीं बताया है जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होता है कि छोगा की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पूर्व वर्ष 1951 में हुई है। इसके समर्थन में प्रतिवादी ने न्यायिक दृष्टान्त 2006(4) सिविल कोर्ट केसेज पृष्ठ 111 शिलादेवी व अन्य बनाम लालचन्द व अन्य प्रस्तुत किया जिसके अनुसार हिन्दु सहदायिकी पुश्तैनी सम्पत्ति में किसी भी पुत्री का अपने पिता की सम्पति में अधिकार, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत् उक्त अधिनियम के लागू होने से पूर्व मृत पिता की सम्पति में उत्पन्न नहीं होता है । उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण में पूर्णतया लागू होता है इस प्रकरण में भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पूर्व छोगा की मृत्यु वर्ष 1951 में होना प्रकट होता है। उक्त विवचनानुसार वादिया वाद–पत्र के पैरा संख्या 2 व 3 में वर्णित कृषि आराजी में 1/2 हिस्से खातेदार काश्तकार घोषित होकर बंटवारा कराने का अधिकारी होना नहीं पायी जाती है। वादग्रस्त आराजियात पर वादिया का कब्जा भी होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार वादिया उक्त तनकी को प्रमाणित करने में असफल रही है। उक्त तनकी विरूद्ध वादिया बहक प्रतिवादीगणों के तय की जाती है।

तनकीसंख्या 02 आया वादिया प्रतिवादीगणों के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है – उक्त तनकी को प्रमाणित करने का भार वादिया के जिम्मे था। लेकिन वादिया तनकी संख्या 01 में अपना हक व अधिकार प्रमाणित करने में असफल रही है तथा वाद पत्र के साथ में वादिया द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से वादिया वादग्रस्त आराजियात पर अपना कब्जा साबित करने में असफल रही है इसलिए यह तनकी विरूद्ध वादिया बहक प्रतिवादीगणों के तय की जाती है।

तनकी संख्या 03 आया वादिया की उसका हिस्सा पूर्व में ही दिया जा चुका है। अब वादिया के मन में बेईमानी आ जाने से जमीन हडपने की नियत से यह गलत वाद पेश किया जो खारीज होने योग्य है। उक्त तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी नं 01 के जिम्मे था प्रतिवादी नं 01 ने अपनी ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पूर्व वादिया के पिता छोगा की मृत्यु होने के तथ्य को

पीठासीन अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

अपनी मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित किया है। उक्त तथ्य की जानकारी वादिया को होने के बावजूद भी वादिया ने यह वाद प्रस्तुत किया है जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादिया को उक्त तथ्य की जानकारी थी की हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पूर्व ही छोगा की मृत्यु हो चुकी थी फिर भी वादिया ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया जिससे यह प्रकट होता है कि वादिया के मन में बेईमानी आ जाने की नियत से यह वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया। उक्त विवेचनानुसार यह तनकी विरूद्ध वादिया व बहक प्रतिवादीगणों के तय की जाती है।

तनकी संख्या 04 दादरसी उपरोक्त विवेचनानुसार वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् घोषित किये जाने खातेदार, इन्द्राज दुरस्ती, कब्जेयाबी व बंटवारा आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा एतद्द्वारा खारिज किये जाने योग्य है।

–:: आदेश ::–

वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् घोषित किये जाने खातेदार, इन्द्राज दुरस्ती, कब्जेयाबी व बंटवारा आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा आर0टी0ए0 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

7/10/2019

(महावीर प्रसाद नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

ड अधिकारी
पुरा (भीलवाडा)

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री महावीर प्रसाद नायक, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

1. मु0 नानी देवी पुत्री छोगालाल ब्राह्मण निवासी ईटमारिया तह0 शाहपुरा

– वादी

बनाम

1. कुन्दनमल पिता कल्याण ब्राह्मण निवासी ईटमारिया तह0 शाहपुरा
2. गीता बेवा छोटू लाल ब्राह्मण निवासी ईटमारिया तह0 शाहपुरा
3. राजू पुत्र छोटू लाल ब्राह्मण निवासी ईटमारिया तह0 शाहपुरा
4. मुकेश पुत्र छोटू लाल ब्राह्मण निवासी ईटमारिया तह0 शाहपुरा
5. सुनिल पुत्र छोटू लाल ब्राह्मण निवासी ईटमारिया तह0 शाहपुरा
6. मोती लाल पुत्र कल्याणमल ब्राह्मण निवासी ईटमारिया तह0 शाहपुरा
7. मु0 प्यारी बेवा कल्याणमल ब्राह्मण निवासी ईटमारिया तह0 शाहपुरा
8. मु0 लाली पुत्री कल्याणमल ब्राह्मण निवासी ईटमारिया तह0 शाहपुरा
9. मु0 विमला पुत्री कल्याणमल ब्राह्मण निवासी ईटमारिया तह0 शाहपुरा
10. तहसीलदार शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

द पत्र बाबत् घोषित किये जाने खातेदार काश्तकार इन्द्राज दुरस्ती, कब्जेयाबी व बटवाड़ा आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

ुकदमा नम्बर 70 सन् 2013 (192 सन् 2008) राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .....X..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् घोषित किये जाने खातेदार, इन्द्राज दुरस्ती, कब्जेयाबी व बंटवारा आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा आर0टी0ए0 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 07 माह 10 सन् 2019 को जारी की गई।

7/10/2019

(महावीर प्रसाद नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)

Scanned by CamScanner